

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)
प्रस्ताव:- FPI/OP/Road/29075/2017

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने का अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय व निर्दिष्ट सिफारिशें


(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिपूर्ण टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय व विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।)

मध्य वन संरक्षक प्रस्ताव
को राज्य वन विभाग की टिप्पणी
के अनुसार प्रस्ताव को स्वीकार
करने का निर्णय है

दिनांक-
स्थान-

27/11/18

हस्ताक्षर


27/11/18

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

नाम

सरकारी मोहर